फायर एन.ओ.सी. के बिना संचालित 17 कोचिंग सहित 25 संस्थान सील

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अब तक 1250 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष के खिलाफ भी कार्रवाई जल्द होगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । भवनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बाद नगर निगम प्रशासन ने बिना अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) के संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। निगम के सर्वे में जयपुर शहर में 1300 से अधिक संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित पाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक 1250 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में खोह नागोरियान स्थित पटाखा गोदाम में आग लगने से आठ लोगों की मौत और लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना के बाद निगम ने अभियान और तेज कर दिया है। अभियान के तहत मंगलवार को शहर में 25 संस्थानों को सील किया गया, जिनमें 17 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी शामिल हैं।

निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ-2) देवेंद्र मीणा ने बताया कि उनके क्षेत्र में करीब 600 संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित पाए गए हैं। सभी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और आगामी दिनों में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दो कोचिंग संस्थानों सहित 10 विभिन्न संस्थानों को सील किया गया। गोपालपुरा क्षेत्र में भी दो कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ-1) गौतम ने बताया कि शहरभर में 1250 से अधिक भवन स्वामियों को बिना फायर एनओसी के व्यवसाय संचालन को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में नियमों की अवहेलना करने वाले सभी संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनके क्षेत्र में मंगलवार को 15 से अधिक संस्थानों को सील किया गया। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किए संचालित किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

नगर निगम प्रशासन ने गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में बिना फायर एनओसी संचालित कोचिंग संस्थानों से बच्चों को बाहर निकालकर सभी को सीज किया। फोटो-राष्ट्रदूत

फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने पर देना होगा 50 हजार रु. जुर्माना

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । फायर सेफ्टी उपकरण नहीं होने पर सील बिल्डिंगों को राज्य सरकार ने राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी करके ऐसी बिल्डिंग को जिन्हें नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका) ने फायर एनओसी या फायर उपकरण नहीं होने पर सील कर रखा है। इन्हें तीन दिन में डी-सील किया जा सकेगा।

स्वायत्त शासन निदेशालय (डीएलबी) ने तीन दिन पहले आदेश जारी करके ऐसे भवनों को छूट दी है। दरअसल पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई बड़े शहरों में रेस्टोरेंट, होटल समेत अन्य कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले भवनों को सील किया। इनमें न तो फायर सेफ्टी उपकरण थे और न उनके पास फायर एनओसी। भवन मालिक को अपने भवन में फायर सेफ्टी उपकरण लगवा कर उसका नगरीय निकाय की फायर सेफ्टी विंग से निरीक्षण करवाना होगा। अगर 30 दिन में फायर सेफ्टी नहीं लगवाए जाते तो निकाय उस भवन को दोबारा सील कर सकेगी।

- **स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि, "ऐसी बिल्डिंग को जिन्हें नगरीय निकायों ने फायर एनओसी या फायर उपकरण नहीं होने पर सील कर रखा है, उन्हें 3 दिन में डी-सील किया जा सकेगा।"**
- **हालांकि अगर 30 दिन में इन इमारतों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगवाए जाते तो संबंधित निकाय उस भवन को दोबारा सील करेगी।**

दिल्ली में आगजनी की घटना के बाद के बाद पिछले दिनों राजधानी जयपुर में कुछ बड़े रेस्टोरेंट, क्लब, बार आदि सील किए गए।

फायर एनओसी और पर्याप्त फायर फाइटिंग उपकरण नहीं होने के कारण इन्हें सील किया गया। डी-सील की अवधि 30 दिन की होगी। 30 दिन तक भवन मालिक अपने भवन में फायर सेफ्टी उपकरण लगवा कर उसका नगरीय निकाय की फायर सेफ्टी विंग से निरीक्षण करवाएगा। अगर 30 दिन में फायर सेफ्टी नहीं लगवाए जाते तो निकाय उस भवन को दोबारा सील करेगी।

राज्य सरकार के आदेशों में डी-सील की अवधि के दौरान रेस्टोरेंट, क्लब, होटल, बार इत्यादि में कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक रहेगी। इस दौरान अगर किसी भवन में कॉमर्शियल एक्टिविटी होती मिली, तो उसे तुरंत सील करने की कार्रवाई की जाएगी। 30 दिन में सभी फायर सेफ्टी उपकरण लगाने, उसका इंस्पेक्शन (जांच) करवाकर फायर एनओसी जारी करवाने के बाद ही कॉमर्शियल गतिविधि शुरू की जा सकेगी।

5 जुआरियों संग दो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

- **हिस्ट्रीशीटर तेजपाल 52 पव्वों के साथ गिरफ्तार**
- **22 मुकदमों वाला विक्की सांसी भी दबोचा**

जयपुर (कासं)। जयपुर दक्षिण जिले में अपराधियों, जुआरियों और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्याम नगर थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाइयों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक होटल में चल रहे जुआ रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच जुआरियों को गिरफ्तार किया, वहीं दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटरों को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ दबोच लिया।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) ओमप्रकाश के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर शर्मा तथा एसीपी सोडाला सत्येंद्र सिंह नेगी एवं सुनील प्रसाद शर्मा के सुपरविजन में श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

मुखबिर की सूचना पर न्यू सांगानेर रोड स्थित होटल सैफायर स्टे के कमरा नंबर-103 में पुलिस ने छापा मारा। यहां ताश के पत्तों पर रुपए की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे पांच लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मौके से 52 ताश के पत्ते और 36 हजार रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस होटल संचालक की भूमिका की भी जांच कर रही है। गिरफ्तार जुआरियों में रोहित मेहरा, फिरोज खान, इसराख खान, फिरोज खान एवं सलमान कुरेशी शामिल हैं। एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान पुलिस ने सुंदर नगर क्षेत्र में दबिश देकर हिस्ट्रीशीटर तेजपाल राजपूत को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 52 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुई। जांच में सामने आया कि वह एक अन्य हिस्ट्रीशीटर कमली सांसी के मकान से अवैध शराब बेच रहा था। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के कई मामले पहले से न्यायालय में लंबित हैं। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विक्की सांसी को 60 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। विक्की सांसी के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम सहित 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

कोविड में दिवंगत आरएएस की संपत्ति हड़पने की साजिश करने वाले बाप-बेटा गिरफ्तार

जयपुर । श्याम नगर पुलिस ने करोड़ों रुपए के एक प्लॉट पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने की साजिश का खुलासा करते हुए बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कोरोना काल में दिवंगत हुए एक आरएएस अधिकारी की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी अनुबंध पत्र, बैचाननामा और इकरारनामा तैयार कर जेडीए में पट्टा अपने नाम करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।

पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज ने बताया कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनीता बैरवा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जहां जांच में सामने आया कि श्याम नगर क्षेत्र स्थित पार्वती नगर विस्तार के एक कीमती प्लॉट को लेकर आरोपी प्रेमचंद बैरवा और उसके बेटे विपुल सुलानिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्वामित्व का दावा किया था। जेडीए में रिकॉर्ड की जांच के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर शर्मा तथा एसीपी सोडाला सत्येंद्र सिंह नेगी के सुपरविजन में गठित टीम ने प्रेमचंद बैरवा (56) और उसका पुत्र विपुल सुलानिया (28) को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि फर्जी दस्तावेजों को आगे बढ़ाने में किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

दुपहिया वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर । जवाहर नगर पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए शातिर चोर मनीष कसोलिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए कॉलोनियों में रैकी कर सूने स्थानों पर खड़े दुपहिया वाहनों को निशाना बनाता था। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पुलिस उपायुक्त रंजीता शर्मा ने बताया कि दुपहिया वाहन चुराने वाले शातिर वाहन चोर मनीष कसोलिया निवासी ज्योति नगर को गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की।

खौलते पानी से झुलसी मोमोज विक्रेता ने लगाए पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप

जयपुर । रामनगरिया क्षेत्र के महल रोड स्थित कैपिटल हाई स्ट्रीट पर मोमोज का कार्ट लगाने वाली 27 वर्षीय रेशु गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा कार्ट हटाने के दौरान स्टीमर को धक्का देने से खौलता पानी उसके ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। घटना 19 जून की शाम करीब 6:45 बजे की बताई जा रही है।

प्रतापनगर स्थित व्यास अपार्टमेंट में रहने वाली रेशु ने बताया कि वह रोजाना की तरह 'हेल्दी आटा मोमोज' नाम से अपना कार्ट लगा रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पहुंची और कार्ट हटाने को कहा। उसने पुलिसकर्मियों को बताया कि स्टीमर में गर्म पानी है और वह कार्ट हटा रही है, लेकिन आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने स्टीमर को धक्का दे दिया, जिससे उबलता पानी उसके शरीर पर गिर गया।

रेशु के अनुसार हादसे में उसकी छाती का एक हिस्सा, हाथ और जांघ बुरी तरह झुलस गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी मदद नहीं की। बाद में उसकी बहन खुशबू गुप्ता उसे अस्पताल लेकर गई। पीड़िता और उसकी बहन का आरोप है कि घटना की रात रामनगरिया थाने पहुंचने के बावजूद तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई तथा समझौते का दबाव बनाया गया। बहन खुशबू ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

रेशु ने कहा कि वह शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। अविवाहित होने के कारण वह अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित है और मामले में निष्पक्ष जांच तथा न्याय की मांग कर रही है। रेशु ने बताया कि पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उस पर और उसकी बड़ी बहन पर है। बीएससी करने के बाद नौकरी नहीं मिलने पर उसने करीब 25 दिन पहले ही महल रोड पर मोमोज का कार्ट शुरू किया था।

इस संवेदनशील मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारी मुस्तैद दिख रहे हैं। थानाप्रभारी चंद्रभान सिंह के मुताबिक गर्म पानी से झुलसने की घटना की गहनता से जांच की जा रही है। मामले की जिम्मेदारी एसआई गोवर्धन प्रसाद को सौंपी गई है। डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि घटना स्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच में जो भी पक्ष दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख समाजसेवी सत्य सर्वेन्द्र भारद्वाज का निधन

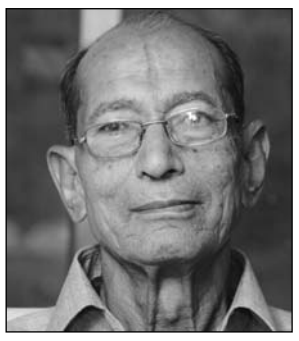

जयपुर । प्रमुख समाजसेवी सत्य सर्वेन्द्र भारद्वाज का 22 जून को निधन हो गया। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए है। उनके पुत्र राजकीय जयपुरिया अस्पताल में दंत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। स्व. भारद्वाज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सदस्य व अखिल भारतीय ब्राह्मण फेडरेशन के पैट्रन मेम्बर रहे हैं। वे पिछले 30 वर्षों से कैलगिरी आई अस्पताल के सहयोग से राजस्थान के कई शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आई कैम्प लगाते रहे है।उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए राजस्थान के राजमार्गों पर कहीं बार आमजन एवं वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वे रोटरी इंटरनेशनल व सत्यकमल संस्थान जयपुर के साथ मिलकर जनसेवा कार्य करते रहे। उनका राजकीय सेवा का कार्यकाल उत्कृष्ट, प्रशंसनीय व अनुकरणीय रहा। भारद्वाज भारत स्काउट एवं गाइड से भी जुड़े थे।

सार-समाचार

कार की टक्कर से बाइक सवार घायल

जयपुर । नारायण विहार थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कीर्ति सागर कॉलोनी के मुख्य चौराहे पर सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक समेत करीब 20 फीट दूर जाकर एक मकान की दीवार से टकरा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चेतन सैनी (26) निवासी झोटवाड़ा को पहले निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार हादसे में युवक के जबड़े में गंभीर चोट आई है और उसका उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद कार चालक कुछ दूरी पर क्षितग्रस्त स्विफ्ट कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार और बाइक को जब्त कर लिया है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने पर वाहन मालिक और चालक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महिला पर फेंका तेजाब

जयपुर । राजधानी में महिला पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर जयपुर लाने वाले प्रेमी ने ही पार्क में बुलाकर महिला पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। झुलसी महिला का अस्पताल में उपचार कराया गया है। पुलिस के अनुसार 37 वर्षीय पीड़िता की आरोपी से पहचान के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। आरोपी उसे शादी का भरोसा देकर करीब तीन माह पहले जयपुर ले आया और किराए के मकान में साथ रहने लगा। बाद में वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौट गया। पीड़िता का आरोप है कि संपर्क करने पर आरोपी गाली-गलौच करता था और जान से मारने की धमकी देता था। महिला ने बताया कि 20 जून को आरोपी ने उसे बातचीत के बहाने सुबह करीब 11:30 बजे एक पार्क में बुलाया। मुलाकात के दौरान विवाद होने पर आरोपी ने बैग से तेजाब की बोतल निकालकर उसकी पीठ पर फेंक दी। महिला के चीखने पर आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने परिचित की मदद से थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसे जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

शिविर में जेडीए ने 1199 पट्टे जारी किए

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविरों में आमजन के विभिन्न लंबित मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से नागरिकों को पट्टा, नामांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, उपविभाजन एवं पुनर्गठन जैसे मामलों में मौके पर राहत प्रदान की जा रही है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शिविरों के दौरान ई-फाइलिंग प्रक्रिया और ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली के माध्यम से नागरिक सेवाओं से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। इससे लोगों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं और लंबित मामलों के समाधान में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 1,519 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। इनमें 1,199 पट्टे जारी किए गए, 224 नामांतरण किए गए, 53 उपविभाजन एवं पुनर्गठन प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 20 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। जेडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संबंधित जोन में निर्धारित तिथियों पर आयोजित शिविरों में उपस्थित होकर पट्टा, नामांतरण, लीज, उपविभाजन, पुनर्गठन तथा अन्य लंबित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण करवाएं और राज्य सरकार की इस जनहितकारी पहल का अधिकतम लाभ उठाएं।

लंपी प्रतिरोधक टीकाकरण का आज से

जयपुर । पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत बुधवार को ब्यावर जिले के श्री तिजारती सर्राफान गौशाला से लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान का आरंभ गोशाला परिसर में शाम पांच बजे किया जाएगा। दो महीने तक चलने वाले इस अभियान में गौवंशीय पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री कुमावत ने कहा कि लंपी रोग पशुओं के लिए एक जानलेवा संक्रामक रोग है। इससे मुख्य रूप से गोवंश प्रभावित होते हैं और पशुपालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रदेश पूर्व में इस रोग का दंश झेल चुका है। इसलिए अब इस रोग से बचाव के लिए एहतियात के रूप में सरकार ने लंपी रोग को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें से टीकाकरण और जागरूकता अभियान मुख्य हैं। पिछले दो वर्षों में चलाए गए टीकाकरण अभियान के तहत राज्य की लगभग 95 प्रतिशत गौवंश का टीकाकरण किया गया जिससे रोग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया और गौवंश की हानि लगभग नही के बराबर हुई थी। वर्ष 2025-26 में 108.95 लाख गौवंश पशुओं का टीकाकरण किया गया। विभाग के निदेशक डॉ सुरेशचंद मीना ने कहा कि इस रोग के सर्वेक्षण, निदान और नियंत्रण के लिए आवश्यक तैयारियां तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण के लिए माइक्रोलेवल प्लानिंग तैयार करने के लिए विभाग द्वारा पूर्व में ही दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं और जिले की माइक्रोलेवल कार्ययोजना के अनुरूप संस्थाओं को उनके कार्य क्षेत्र में अवस्थित गौवंश पशुओं की संख्या के अनुसार टीकाकरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य में पहली बार लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन होमोलोगस रांची स्ट्रेन का उपयोग किया जाएगा।

पुलिस ने 10 शराब तस्कर दबोचे

जयपुर । खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार और अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष सर्च अभियान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 अवैध शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के दौरान 528 अवैध देशी शराब के पव्वे जब्त किए गए। वहीं एक हिस्ट्रीशीटर और एक चालानशुदा चैन स्नैचर को भी सुरक्षात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर पाबंद किया गया। पुलिस उपायुक्त (जयपुर पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि जिले में चलाए गए विशेष सर्च अभियान में खोह नागोरियान थानाधिकारी प्रकाशराम के नेतृत्व में थाने के जाब्ते से 10 विशेष टीमें गठित की गईं। जहां गठित टीम ने 22 जून की रात 11 बजे से 23 जून की सुबह 11 बजे तक चले 12 घंटे के अभियान के दौरान थाना क्षेत्र में संदिग्ध ठिकानों एवं अवैध शराब बिक्री केंद्रों पर एक साथ दबिश दी गई। इस कार्रवाई में आबकारी अधिनियम के तहत 10 प्रकरण दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 528 देशी शराब के पव्वे बरामद किए गए। इसके अलावा दो लंबित स्टैंडिंग वारंटों का भी निस्तारण किया गया। वहीं आबकारी अधिनियम के तहत तारा देवी, सीमा देवी, सीता देवी, नगीना सांसी, अंजलि सांसी, लाली सांसी, रामनारायण सांसी, राजेश सांसी, सूरज तथा कुमर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इस अभियान के दौरान शांति भंग की आशंका के मद्देनजर बीएनएसएस की धारा 170 के तहत क्षेत्र के चिन्हित हिस्ट्रीशीटर बाबू खान (45) को गिरफ्तार कर पाबंद किया गया।

कालवाड़ व निवारू रोड पर पेवर मशीन बनानी थी सीमेंट सड़क, ठेकेदार अपने मुनाफे के लिए मजदूरों से बनवा रहा

समय पर सड़क निर्माण नहीं होने का खामियाजा भुगत रही जनता, ट्रेफिक जाम और खड्ढ़ों से लोग परेशान

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । जेडीए के इंजीनियर्स और ठेकेदार की मनमानी के कारण कालवाड़ रोड पर सीमेंटेड सड़क बनाने का काम समय पर पूरा होने के बजाय अटका हुआ है। सुबह से लेकर देर रात तक ट्रेफिक जाम और जगह-जगह खोदी गई सड़क के गड्ढ़ों में गिरकर आये दिन दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे है। जोन-12 के अभियंताओं और ठेकेदार की लापरवाही से कालवाड़ रोड के हजारों लोगों को प्रतिदिन अलसुबह से देर रात तक भारी ट्रेफिक जाम से जूझना पड़ रहा है।

दरअसल कालवाड़ और निवारु रोड पर जलभराव वाली जगहों पर सीमेंटेड सडक़ निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने से बरसाती पानी से जाम लगने लगा है। दो दिन पहले आई तेज बारिश से आधी-अधूरी सड़क निर्माण कार्य से जगह-जगह पर पानी भर गया। अब आधी सड़क बनी है तो आधी खुदी पड़ी है, जिससे भी जाम की स्थिति बिगड़ी हुई है। सुबह से देर रात तक सडक़ पर वाहनों की कतारें लगी रहती है। बावजूद इसके ठेकेदार और जोन 12 के अभियंता सड़क निर्माण कार्य में तेजी नहीं ला रहे हैं।

ज्ञात रहे कि कालवाड़ रोड पर हाथोज और निवारु रोड पर जलभराव की जगह पर पेवर मशीन से सड़क निर्माण कार्य के दो अलग-अलग टैंडर निकाले थे। यह कार्य 4 महीने में पूरा करना था। सीमेंटेड सडक़ पेवर मशीन से बनाई जानी थी, ताकि समय पर टिकाऊ सडक़ बन सके। ठेकेदार अपनी लागत बचाने के लिए पेवर मशीन के बजाय सड़क बनाने का काम मजदूरों से करवा रहा है। जिसके चलते सड़क निर्माण की गति कछुआ चाल जैसी है।

इसका खामियाजा कालवाड और निवारु रोड की सैकड़ों कॉलोनियों के हजारों लोगों को झेलना पड़ रहा है। आधी अधूरी सडक़ बनाने, जगह जगह पर सडक़ खुदी होने के कारण चौपहिया और दोपहिया वाहन की कतारें सुबह से ही लगने लगती है, जो देर रात तक जाम में फंसी रहती है। ऑफिस टाइम पर जाम के हालात ओर खराब हो जाते हैं। दो तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग जाती है। पुलिस की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। जिससे जाम की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है।

कालवाड़ रोड पर मंगलम सिटी के सामने सीमेंट रोड बनाने के लिए ठेकेदार पेवर मशीन के बजाय मजदूरों से काम करवा रहा।

- **कालवाड़ रोड पर जगह-जगह खड्ढ़ों में बारिश का पानी भरा है, जिनमें गिरकर आये दिन दुपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे**

पेवर मशीन से नहीं बन रही है सड़क

जेडीए जोन 12 में कालवाड एवं निवारु रोड पर सीमेंट सडक़ निर्माण कार्य में भारी धांधली हो रही है। टैंडर शर्तों एवं जी शेड्यूल को धत्ता बताते हुए ठेकेदार यहां पर पेवर मशीन के बजाय मजदूरों से कार्य करवा रहा है। जबकि जेडीए जोन 12 के अभियंता, ठेकेदार फर्म को पेवर मशीन के हिसाब से भुगतान करने में लगे हुए है।

दोनों टैंडर में स्पष्ट है कि संपूर्ण कार्य पेवर मशीन से होना है। जेडीए ने बीसीआर रेट भी अच्छी रखी, अब हाथों से कार्य होने से सवाल उठ रहे हैं। अगर पेवर मशीन से कार्य होता तो समय पर ही दोनों ही स्थानों पर सड़क बन चुकी होती। परंतु अभी भी 30-40 फीसदी काम बाकी बचा हुआ है, मानसून शुरू हो चुका है।